

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 102/2019 (2019/00171) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. रामेश्वरलाल पिता नानुराम शर्मा निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पिता गिरधारी लौहार
2. सांवरमल पिता गिरधारी लोहार
3. श्रीमती भगवतीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल शर्मा
4. भैरूलाल पिता बालुराम ढोली
सर्व निवासी सन्तोषनगर आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 10/12/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सन्तोषनगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 493 रकबा 0.0200हे0, 495 रकबा 0.17हे0 496 रकबा 0.54हे0 544 रकबा 0.23हे0 4393/494 रकबा 0.13हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.09हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 126 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सन्तोषनगर पटवार हल्का आमली तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 493 रकबा 0.0200हे0, 495 रकबा 0.17हे0 496 रकबा 0.54हे0 544 रकबा 0.23हे0 4393/494 रकबा 0.13हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.09हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550/- (पाँच सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 550/- (पाँच सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा
(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर(भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

